# झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

**आपराधिक पुनरीक्षण सं0–44 वर्ष 2017**

राजेश कुमार ..... ..... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. रूद्राणी सिन्हा
3. अल्का सिन्हा
4. एकता सिन्हा
5. आलोक सिन्हा ..... ..... विपक्षीगण

**कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री इन्द्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता।

राज्य के लिए:– श्री तापस रॉय, ए0पी0पी0।

06 / 29.08.2017 पक्षों को सुना।

यह आवेदन कुटुम्ब न्यायालय, कोडरमा के विद्वान प्रधान न्यायाधीश द्वारा भरण–पोषण मामला संख्या 66 / 2011 में पारित दिनांक 27.08.16 के निर्णय के विरूद्ध निर्देशित किया गया है, जिसके द्वारा और जिसके अधीन, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन विरोधी पक्ष संख्या 2 द्वारा दायर आवेदन को अनुज्ञात किया गया है और विरोधी पक्ष संख्या 2, 3, 4 और 5 के पक्ष में कुल 10,000 / – रूपये की राशि मंजूर की गई है।

याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि विरोधी पक्ष सं0 2 याची की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं है, बल्कि याची की शादी एक बबीता देवी के साथ हुई है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता के बबीता देवी के साथ संपन्न उक्त विवाह से तीन बच्चे हैं। यह कहा गया है कि यहां तक कि बबीता देवी, जिनको ओ0पी0 संख्या 2 के रूप में परीक्षण किया गया था, ने भी याचिकाकर्ता के मामले का समर्थन किया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने याची के इस तर्क को ध्यान में रखा है कि विरोधी पक्ष सं0 2, याची की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं है। दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन पर, जो विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रखा गया था, ऐसा प्रतीत होता है कि मतदाता पहचान पत्र, बीमा पॉलिसी और मोटरसाइकिल का पंजीकरण विपक्षी पक्ष सं0 2 के नाम पर है, जिसमें स्वयं को याचिकाकर्ता की पत्नी के रूप में दर्शाती है। हालांकि कुछ प्रमाण पत्र दायर किए गए थे, जिसमें दावा किया गया था कि बबीता देवी उनकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता का नाम राजेश प्रसाद के रूप में उल्लेख किया गया है, जबकि विपक्षी पक्ष संख्या 2 के मामले में, नाम राजेश कुमार के रूप में उल्लेख किया गया है। यहां तक कि आवासीय पता भी अलग दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि याचिकाकर्ता कानूनी विवाह की आड़ में दो अलग–अलग स्थानों पर एक ही समय में दो महिलाओं के साथ आनंद और सहवास कर रहा था।

इस प्रकार, विरोधी पक्ष सं0 2 याचिकाकर्ता के साथ अपना विवाह स्थापित करने में सक्षम रही थी और याचिकाकर्ता की आय पर विचार करते हुए, क्योंकि वह गैस गोदाम में एक प्रबंधक है, विपक्षी पक्ष सं0 2, 3, 4 और 5 के पक्ष में कुल रू0 10,000/– की रशि मंजूर की गई है।

चूंकि भरण–पोषण मामला संख्या 66/2011 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कोडरमा द्वारा पारित दिनांक 27.08.2016 कास आक्षेपित निर्णय कानून के अनुसार है, इसलिए उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

तद्नुसार, यह आवेदन खारिज किया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)